दिनांक 19 फरवरी 2021

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

अवैध प्लाटिंग पर निगम ने की कार्रवाई , जूनवानी रोड में अवैध प्लाटिंग का मामला

- रजिस्ट्री पर रोक लगाने एवं एफ.आई.आर. दर्ज कराने प्रेषित किया जा चुका है पत्र

भिलाई नगर/ जूनवानी रोड में निर्माणाधीन बीएसबीके पेट्रोल पंप के सामने अवैध प्लाटिंग की मंशा से मार्ग संरचना तैयार किया जा रहा था जिसे निगम की टीम ने मूल स्वरूप में बदलने की कार्रवाई की और मौके से मुरूम जप्त किया! निगम प्रशासन की यह तीसरी दफा कार्रवाई है! भू माफियाओं के हौसले को परास्त करने के लिए निगम भिलाई द्वारा हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है! आज की कार्यवाही में मार्ग संरचना को हटाने के साथ ही पांच डंपर मुरूम एवं मलबा जप्त किया गया! पूर्व में इसी स्थल पर कौशल बिल्डिकान के द्वारा अवैध प्लाटिंग के विक्रय के लिए स्टाल लगाकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा था! तब निगम प्रशासन ने प्रचार-प्रसार सामग्री को जप्त करने की कार्यवाही की थी! इससे पूर्व भी मार्ग संरचना को हटाने की कार्यवाही की गई थी! साथ ही अवैध प्लाटिंग नहीं करने को लेकर संकेतक बोर्ड भी लगाया गया था! जुनवानी मुख्य रोड पर स्थित इस भूखंड को लेकर कई दफा कार्रवाई की गई है! कौशल बिल्डिकान के खिलाफ अवैध रूप से प्लाट विक्रय के लिए भ्रामक प्रचार-प्रसार करने के कारण कोहका , कुरूद रोड स्थित इनके चार मंजिला बिल्डिंग को सील करने की भी कार्यवाही की जा चुकी है!

एफ.आई.आर. दर्ज कराने निगम से भेजा जा चुका है पत्र अवैध प्लाटिंग के इस प्रकरण पर एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए निगम प्रशासन ने 23 सितंबर को स्मृति नगर थाना को पत्र प्रेषित किया था! निगमायुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने अवैध प्लाटिंग के मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर त्वरित कार्यवाही के लिए प्रकरण पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में लाते हुए पुन: उन्हें स्मरण पत्र लिखा है! शंकराचार्य कॉलेज जूनवानी रोड के भूमि खसरा नंबर 115/2 एवं 47/2 दुखन बाई, धनीष, बुधारू, दुर्गाहीन बाई, मैंना बाई, मानबाई, मनिका के नाम से दर्ज है! इन सभी पर सुसंगत धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के लिए पत्र भेजा गया है!

रजिस्ट्री पर रोक लगाने निगम ने पंजीयन कार्यालय को कराया अवगत जुनवानी रोड स्थित भूमि खसरा नंबर 47/2 एवं खसरा नंबर 115/2 पर बिना अनुमति प्राप्त किए विखंडन कर अवैध प्लाटिंग करने को लेकर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 का उल्लंघन मानते हुए! इसकी रजिस्ट्री पर रोक लगाने पंजीयन कार्यालय , पंजीयक दुर्ग को पत्र प्रेषित किया गया है!

अवैध प्लाटिंग के खिलाफ आज की कार्रवाई में नेहरू नगर के जोन आयुक्त सुनील अग्रहरी , सहायक अभियंता अनिल सिंह, जोन के सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे एवं राजेश गुप्ता सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे!

जनसंपर्क अधिकारी